अध्याय 8: निष्कर्ष एवं सिफारिशें

8.1 निष्कर्ष

चूँकि आईएफसीआई एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है, अत: यह आवश्यक है कि मूल्यांकन एंव उद्यम के सख्त मानकों का अनुसरण किया जाये एंव मूल्यांकन और क्रेडिट सुविधाओं के विस्तारण की प्रक्रिया के दौरान इसके स्वयं के वित्तीय/वाणिज्यिक हित को उचित महत्व दिया जाये।

अनेक कर्जदारों को आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋणों/निवेशों की संस्वीकृति, संवितरण एंव निगरानी की समीक्षा ने दर्शाया कि आईएफसीआई ने कुछ ऋण लेखाओं की संस्वीकृति, संवितरण एंव निगरानी के दौरान क्रेडिट मूल्यांकन में समुचित सावधानी के सर्वोच्च मानकों का पालन नहीं किया। इसने कुछ दृष्टांतों में स्वयं की सामान्य उधार नीति का अनुपालन नहीं किया एवं न्यूनतम प्रतिभूति कवर, वित्तीय अनुपातों, क्रेडिट रेटिंग आदि से संबंधित विभिन्न अनुबद्ध पात्रता मानदंड में छूट दी थी। संस्वीकृति के दौरान स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सामान्य उधार नीति में निर्धारित कार्यप्रणाली के साथ सामंजस्य में नहीं था। लेखापरीक्षा ने प्रतिभूति के तौर पर लिए गए अचल सम्पत्तियों के टाइटिल के सत्यापन में समुचित सावधानी की कमी देखी, परिणामस्वरूप इन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन एंव गिरवी सम्पत्तियों के संरक्षण में विफलता हुई। यह भी देखा गया कि उन मामलों में जहाँ संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्राथमिक प्रतिभूति संवितरण के पूर्व सृजित नहीं की गई थी, इनके एनपीएज़ में परिवर्तित होने के बहुत दृष्टांत हुए थे। भुगतान में चूक एवं ऋणों के एनपीए में परिवर्तित होने के बाद भी प्रतिभूति के प्रवर्तन में विलम्ब था और कुछ दृष्टांत में प्रतिभूति का गैर-प्रवर्तन भी था खासतौर से बकाया शेषों की वसूली के लिए गिरवी रखे इक्विटी शेयरों की बिक्री में विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा ने प्रावधानीकरण, पुनर्गठन तथा आरबीआई/सीआईबीआईएल में इरादतन चूककर्ता की सूची में शामिल कर्जदारों को ऋण की संस्वीकृति में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी देखा। लेखापरीक्षा ने अन्य कम्पनियों में इक्विटी निवेश के कुछ दृष्टांतों में कम्पनी एवं वापसी-खरीद इकाई के वित्तीय परिणामों का अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन/विश्लेषण एवं कर्जदार के असंतोषजनक ऋण वृत्तांत

या ऋण ग्रस्तता देखी। अधिकतम मामलों में वापसी-खरीद में चूक, प्रतिबंधित एग्जिट विकल्प एवं मंजूरी के बाद कमजोर निगरानी के साथ समूह कम्पनियों के भीतर बहुत उधारी करने के उदाहरण थे।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2017) कि सामान्य उधार नीति उधारदाता संस्थानों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के अलावा नीति में निर्धारित शर्तों से जहाँ भी कोई विचलन आवश्यक थे, अनुमोदनों का एक साधन प्रदान करती थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट में उजागर आपत्तियों के आधार पर, कम्पनी को सामान्य उधार नीति की समीक्षा, व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा से अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रक्रिया को सख्त करने, लापरवाही/धोखाधड़ी के साथ-साथ इरादतन चूककर्ताओं को उधार देने के सभी मामलों में स्टाफ की जिम्मेदारी की जांच की सलाह दे दी गई थी। इसने आगे कहा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आईएफसीआई के प्रति आरोपों सहित कुछ मामलों में यथोचित संवीक्षा पहले से ही आरबीआई, सेबी एंव गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय द्वारा प्रक्रियाधीन थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ इन प्रतिवेदनों के निष्कर्ष कम्पनी को सलाह देने एवं इस मंत्रालय द्वारा की गई आईएफसीआई के निष्पादन की आवधिक समीक्षाओं एवं आगे सुधार करने में प्रयुक्त किए जाऐंगे।

8.2 सिफारिशें

- **क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए;**
- **कम्पनी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए;**
- **कम्पनी को सख्ती से अपनी सामान्य उधार नीति का पालन करना चाहिए और विचलनों की सहायता बार-बार नहीं लेनी चाहिए;**

- **कम्पनी को वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के दौरान कर्जदार कम्पनी की वित्तीय स्थिति के साथ गिरवी दाता कम्पनी/वापसी खरीद करने वाली इकाई का भी आंकलन करना चाहिए;**
- **चूक के तुरन्त बाद वसूली की कार्यवाही को उपलब्ध प्रतिभूति प्रवर्तित करते हुए शीघ्र ही आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।**

नई दिल्ली
दिनांक : 05 अप्रैल 2017

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 05 अप्रैल 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक